संख्या-25/2021/220/22-4-2021-119(ब)/2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 25 फरवरी, 2021

विषयः-प्रदेश की कारागारों एवं मा0 जनपद न्यायालयों में **चरणबद्ध** रूप से क्रियान्वित की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्ययोजना के प्रथम चरण में स्थापित 14 इकाईयों के पुनर्स्थापन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22047/आधु-2/वीडियो कान्फ्रेंसिंग/2020, दिनांक-03.09.2020 एवं पत्र संख्या-24064/आधु-2/वीडियो कान्फ्रेंसिंग/2020, दिनांक-29.09.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों एवं मा0 जनपद न्यायालयों में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्ययोजना के प्रथम चरण में स्थापित 14 इकाईयों (तालिका के क्रमांक-1 से 4) के पुनर्स्थापन जैम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 1,98,19,772 /- तथा आर0एफ0 टावर (तालिका के क्रमांक-5) का कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0-9,05,874/- अर्थात कुल रू0 207.25 लाख की लागत पर निम्न विवरणानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संगत मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 1,11,12,000/- (रूपया एक करोड़ ग्यारह लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	मद	संख्या	दर प्रति	कुल धनराशि
1	**Weber room kit plus PTZ 12x, Touch 10, Make - cisco**	14	12,19,203	1,70,68,842
2	**Display Unit 55"**	14	49,995	6,99,930
3	**2 KVA Online UPS with Battery bank and accessorise**	14	87,500	12,25,000
4	**Supply of all in one desktop having intel core i5 processor, 4GB DDR 3 add on grphics controller with 512mb vidio memory, integrated sound and gigabit eternet controllar 500gb or higher.**	14	59,000	8,26,000
5	RF Tower at Court & Jail End of appropriate height	14		9,05,874
			Total	**2,07,25,646** **अर्थात कुल रू0 207.25 लाख**

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उपकरणों/मशीनों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम **उद्यम** विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा ।

(2) धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में कार्यदायी संस्था एवं महानिरीक्षक कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उक्तधनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2021 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना-26-मशीन साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/554/दस/2021, दिनांक-24 फरवरी 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2021/220/22-4-2021, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in